न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
030/2021 (रा.अ.) (पूर्व प्रकरण संख्या 001/2019(रा.अ.) (GCMS 2021/516)	22.12.2021	20.04.2022

अनवान

1. नन्दलाल पिता हीरालाल जाति खटीक आयु 52 साल निवासी बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
2. रतनलाल पिता हीरालाल जाति खटीक आयु 53 साल निवासी बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पिता नाथुलाल खटीक आयु 51 साल निवासी इन्दिरा कॉलोनी बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।
2. सोहनलाल पिता नाथुलाल खटीक आयु 43 साल निवासी नीलगर मौहल्ला घाटी, बस्सी तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

–:: अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ आदेश संख्या 57/2018, निर्णय दिनांक 07.01.2019 ::–

उपस्थिति :– श्री सुरेश शर्मा — अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री राजेन्द्र राजौरा — अधिवक्ता प्रत्यर्थी

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल कमांक 057/2018 प्रार्थनापत्र निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.01.2019 पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के अन्तर्गत धारा 183 बी, आर.टी. एक्ट के अन्तर्गत दिनांक 28.05.2018 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के राजस्व केम्प ग्राम बस्सी में प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवार हल्का बस्सी से मौके की रिपोर्ट दिनांक 30.07.2018 को तलब की गई जिस पर पटवार हल्का बस्सी द्वारा दिनाक 17.09.2018 को अपीलांट को बिना सूचना दिये बिना मौके पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जांच किये दिनांक 08.12.2015 की पत्थरगढी का उल्लेख कर रेस्पोडेंट का मौके पर कब्जा नहीं होने से प्रकरण निरस्त योग्य की टिप्पणी करं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रेषित की जिस पर तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण को बिना अपीलांट को सुने मनमर्जी से दिनांक 07.01.2019 निरस्त करने का निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट के खातेदारी की अपील में उल्लेखित कृषि भूमि पर रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 01.01.2016 को जबरन कब्जा कर अपीलांट को बेदखल कर दिया फिर भी पटवार हल्का द्वारा दिनाक 08.12.2015 को पत्थरगढी का उल्लेख कर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर अपीलांट को बिना सुने अपनी मनमर्जी से अपीलांट के प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। पटवार हल्का बस्सी द्वारा रेस्पोडेंट से मिल कर वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होने की एक पक्षीय गलत टिप्पणी की गई जिस पर अपीलांट को बिना सुने प्रकरण का निरस्त करने का निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर निरस्त योग्य है। अपीलांट ने दिनांक 11.09.2018 एवं दिनांक 08.01.2019 को श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय को उपस्थित होकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में अब तक कार्यवाही नहीं करने की शिकायत करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 19.11.2018 को इस प्रकरण के बारे में वस्तुस्थिति की जांच कर कार्यवाही करने के लिए लिखने पर अधीनस्थ न्यायालय ने आनन–फानन मे तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पटवार हल्का बस्सी से 17.09.2018 को मूल प्रार्थना–पत्र पर पटवारी से रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं की टिप्पणी अंकित करा दिनांक 07.01.2019 को प्रकरण निरस्त कर दिया जो विधि विरुद्ध होकर निरस्त योग्य है। अपीलांट की उपस्थिति में श्रीमान द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब करने पर स्पष्ट हो जाएगा कि आज भी रेस्पोडेंट का मौके पर कब्जा होकर अपीलांट उसके खातेदारी की भूमि बेदखल कर रखा है जिससे अपीलांट बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः में प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी, आर. टी. एक्ट स्वीकार फरमाया जाकर रेस्पोडेंट को अपीलांट की खातेदारी की भूमि से बेदखल करा अपीलांट को कब्जा दिलाये जाने के आदेश अधीनस्थ न्यायालय को फरमाया जावे।

इस पर अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया, एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थीगण की और से उनके अधिवक्ता दिनांक 19.03.2019 को हाजिर जाये एवं अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 25.06.2019 को प्रत्यर्थीगण की और से जवाब अपील एवं लिखित बहस पेश की गई जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/राजस्व/2022/18 दिनांक 10.01.2022 से न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 057/2018 निर्णय दिनांक 07.01.2019 अन्तर्गत धारा 183 'बी' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अनवानी नन्दलाल बनाम मदनलाल वगैराह प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। दिनांक 03.03.2020 को अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पत्रावली पेश की जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। सुनवाई के दौरान न्यायालय आदेश दिनांक 25.08.2020 से अपील अपीलार्थी अदम हाजरी अदम पैरवी खारीज की गई। जिस पर अपीलार्थी की ओर से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो कि प्रकरण संख्या 022/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद सुनवाई के उक्त प्रकरण में न्यायालय आदेश दिनांक 06.10.2021 से पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये गये, जिससे उक्त प्रकरण विचाराधीन है।

हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। दिनांक 12.04.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 का पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेश दिनांक 12.04.2022 से खारीज किया गया है। हस्तगत अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। दिनांक 20.04.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये एवं प्रकरण में मौखिक बहस पत्रावली की गई।

सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी मौखिक बहस पत्रावली में लिखित बहस पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी आरटी एक्ट के तहत रेस्पोडेंट के विरूद्ध दिनांक 28.05.2018 को राजस्व केम्प बस्सी में प्रस्तुत कर अपीलांट के खातेदारी के वर्तमान आराजी नंबर 3151 मी0 रकबा 0.15 हेक्टर पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा है जिसको हटवा कर अपीलांट को कब्जा सिपुर्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के उक्त प्रार्थनापत्र को बिना दर्ज किये बिना विपक्षीगण नोटिस जारी किये एवं न ही उनसे कोई जवाब रेकार्ड पर लिया एवं न ही मौके की रिपोर्ट अपीलांट की उपस्थिति में तैयार की गई एवं मनमाने ढंग से इसी प्रार्थनापत्र की पुश्त पर 17.09.2018 को पटवारी से रिपोर्ट करवा ली थी। प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने से प्रकरण निरस्त योग्य है एवं इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.01.2019 को बिना अपीलांट को सुने प्रकरण निरस्त कर दिया जिससे यह अपील आप श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अपीलांट ने केम्प में दिनांक 28.05.2018 को उक्त प्रार्थना पत्र कब्जा हटाने हेतु प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दर्ज किये एवं विपक्षीगण को नोटिस जारी किये बिना अपने पास पटके रखा इसकी शिकायत जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ को 08.01.2019 को प्रस्तुत की गई तब आनन–फानन में इसी प्रार्थना पत्र की पुश्त पर दिनांक 17.09.2018 को पटवारी से प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने की रिपोर्ट बिना मौतबिरान की उपस्थिति में करवा ली एवं 07.01.2019 को अपीलांट का प्रार्थनापत्र खारीज करने का सूचना–पत्र भिजवा दिया गया जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता की आज्ञापक प्रावधानो का उल्लंघन है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी मौखिक बहस में जवाब एवं लिखित बहस पत्रावली में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार अपीलांट को सूचना देकर सही निर्णय पारित किया है तथा विधिवत अपीलांट को सूचना देकर मौका पर्चा बनाया गया है जिससे निर्णय निरस्त योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा विवादित कृषि भूमि के नंबर नहीं अंकित किये है जबकि रेस्पोडेंट द्वारा 01.01.2016 को जबरन कब्जा नहीं किया गया है बल्कि ग्राम बस्सी की विवादित आराजी नंबर 3151 मी. रेस्पोडेन्ट के पिता स्व. नाथूलाल पिता नारायण खटीक के द्वारा इस आराजी को दिनांक 07.07.1997 को अपीलांट के पिता हीरालाल के खातेदारी व कब्जे कि होने से रेस्पोडेन्ट के पिता ने बिल ऐवज 10,000/–रूपये में

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

आराजी के पश्चिम दिशा वाला जिसका रकबा 0.10 हैक्टर है जिस खरीदा है तथा इसके नवीन आराजी संख्या 3151/4386 दर्ज रेकार्ड है, तब से कब्जे में चली आ रही है तथा खातेदार नाथु जी की मृत्यु के बाद से विरासत से रेस्पोडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है। जिससे भी अपीलांट का कब्जा न, था न है। हल्का पटवारी से रेस्पोडेन्ट ने मिलकर कब्जा होना नहीं अंकित कराया है बल्कि पटवारी राजस्व विभाग का जिम्मेदार अधिकारी होता है जिसने सक्षम तहसीलदार साहब के आदेश पर अपीलांट को सूचना देकर कब्जा पर्चा सही बनाया है। इस अपील को सुनने का श्रवणाधिकार श्रीमान न्यायालय को नही है जिससे क्षेत्राधिकार के आधार पर यह अपील खारीज योग्य है। इस अपील से संबंधित कई तथ्यों को अपीलांट द्वारा छुपाकर यह अपील पेश कि है जबकि इस अपील से संबंधित सही तथ्य इस प्रकार है जिनके आधार पर ही यह अपील खारीज योग्य साबित होती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बस्सी तहसील चित्तौड़गढ़ की नवीन आराजी नंबर 3151 रकबा 0.15 है, में से पश्चिम दिशा वाला रकबा 0.10 हैक्टर के बारे में कब्जा लेने का प्रार्थना पत्र धारा 183 बी आर.टी.ए के तहत राजस्व केम्प बस्सी में दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत किया जिसे राजस्व केम्प के सक्षम अधिकारी द्वारा तहसीलदार साहब के आदेश पर हल्का पटवारी ने अपीलांट को सूचना देकर कब्जे का पर्चा मौका बनाया जिस अनुसार मौके पर विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट के पिता नाथूलाल द्वारा अपीलांट के पिता हीरालाल से दिनांक 07.07.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये खरीद कर रेस्पोडेन्ट का विधिवत कब्जा पाया गया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार सही निर्णय दिया है जिसमे हस्तक्षेप कि कोई गुंजाईश नही है और अपील खारीज योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत आवेदन दिनांक 28.05.2018 को प्रस्तुत किया गया इसके पूर्व ही अपीलांट नंदलाल व उसकी माता मांगी बाई ने रेस्पोडेन्ट के पिता नाथूलाल खटीक व रेस्पोडेन्ट एवं उसके अन्य भाईयों के विरूद्ध प्रकरण संख्या 14/14 के जरिये धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत एक वाद पत्र एस.डी.ओ चित्तौड़गढ़ के समक्ष दिनांक 09.01.2017 को प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेन्ट एवं उनके पिता नाथूलाल के द्वारा तारीख 24.06.2018 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया जिस पर दोनो पक्षों को सुनकर सक्षम उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने राजस्व न्यायालय केम्प बस्सी में दिनांक 22.06.2015 को मौके कि जांच कर पक्षकारों को सुनकर अपीलांट का वाद पत्र खारीज कर दिया एवं 22.06.2015 को आदेश दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कि जाकर उस पर आवासीय मकान बनाना एवं रेस्पोडेन्ट का कब्जा होना पाया तथा अपीलांट को अपने स्वामित्व के भू–भाग पर पत्थरगढी कराने हेतू पात्र माना गया है। जिससे स्पष्ट है कि सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.06.2015 में तत्समय भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा विधि अनुसार माना है और अपीलांट द्वारा तारीख 22.06.2015 के निर्णय कि कोई अपील सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कि है और वाद निर्णय होने के तथ्यों को छुपाकर अपीलांट ने दिनांक 28.05.2018 को धारा 183 बी.आर.टी.ए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण रेस्ज्युडीकेटा का असर रखता है जिससे भी यह अपील खारिज योग्य है। विवादित आराजी नंबर 3151 रकबा 0.15 हैक्टर में से पश्चिम दिशा वाला रकबा 0.10 हैक्टर रेस्पोडेन्ट के पिता नाथूलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा तारीख 07.07.1997 को अपीलांट के पिता हीरालाल के पिता द्वारा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है हाल नवीन आराजी संख्या 3151/4386 से खाता खुला है तथा मौके पर आस–पास आबादी होने से रेस्पोडेन्ट द्वारा आवासीय मकान बना रखे है और परिवार सहित रह रहे है जिससे अपीलांट द्वारा विधिवत विक्रय पत्र दिनांक 07.07.1997 को खारिज करने का दावा लाये बिना एवं रिहायशी मकानों से कब्जा लेने का दावा लाये बिना इस प्रकार अपीलांट द्वारा विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देने से यह अपील क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार के अभाव मे खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना है कि रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की जवाब बहस स्वीकार फरमा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सव्यय खारिज फरमाई जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया कि रेस्पार्डेट द्वारा प्रस्तुत अपनी लिखित बहस में प्रार्थनापत्र में उल्लेखित आराजी नंबर 3151 मी0 पर कब्जा उक्त भूमि क्रय करने से स्वीकार करते है जबकि पटवारी प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं होने पर का उल्लेख करता है जो दोनों तथ्य एक दूसरे के विरोधाभासी है। रेस्पोडेंट कि ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में विशेष कथन का जवाब निम्न प्रकार ग्राम बस्सी के वर्तमान आराजी नंबर 3151 जिसका रकबा 0.25 हेक्टर का जिसमें से पश्चिम दिशा वाला भाग जिसको 3151/1 रकबा 0.10 हैक्टर को 07.07.1997 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय किया जिस पर अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन इसी का शेष भाग 3151 मी0 रकबा 0.15 हेक्टर पूर्वी भाग जो आज भी अपीलांट के खातेदारी में है से कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा जो विधिवत है। जवाब–विशेष कथन में उल्लेखित प्रकरण स्थायी निषेध आज्ञा का था, जिसको न्यायालय ने अपीलांट का कब्जा नहीं होने से खारीज किया जबकि अपीलांट का प्रार्थनापत्र कब्जा हटाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिससे रेसज्युडिकेटा के सिद्धान्त लागु नहीं होते है। जवाब–विशेष कथन उल्लेखित आराजी नंबर 3151 जिसका रकबा 0.25 हेक्टर इसमें से पश्चिम भाग जिसका विक्रय दिनांक 07.07.1997 को किया गया आराजी नम्बर 3151/1 रकबा 0.10 हेक्टर जिस पर रेस्पोडेंट काबिज है अपीलांट को कोई आपत्ति नहीं है किन्तु इसी आराजी का विक्रय के बाद बची वर्तमान आराजी नंबर 3151मी. रकबा 0.15 हेक्टर का कब्जा रेस्पोडेंट से हटवाने का अनुरोध किया जो सही हैं रेस्पोडेंट उनके द्वारा क्रयशुदा रकबा 0.10 हेक्टर की आड में शेष बचे 0.15 पर अपना नाजायज अतिक्रमण काबिज रखना चाहते है जिसका उन्हें विधि अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं अपीलांट विक्रय के बाद बचे शेष रकबे जिसका वर्तमान आराजी नंबर 3151 मी. रकबा 0.15 हेक्टर का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत में प्रार्थना कि गई अपीलांट की बहस स्वीकार फरमायी जाकर अपील अधीनस्थ न्यायालय का अपीलांट की खातेदारी की वर्तमान आराजी नंबर 3151 मी. रकबा 0.15 हेक्टर से रेस्पोडेंट को बेदखल कर कब्जा सुपुर्द करने के निर्देश अधीनस्थ न्यायालय को फरमावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT 2014(1)** पेज संख्या 658 अनवानी श्रीकिशन बनाम हरबक्ष, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1063 अनवानी उगमसिंह बनाम सरकार, **RRT 2014(2)** पेज संख्या 1444 अनवानी पूर्णाराम बनाम संपतराम एवं **RRT 2016-17(Supp.)**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेज संख्या 595 अनवानी अतरसिंह बनाम राजस्व मण्डल पेश किये एवं न्यायिक दृष्टांत पर दृष्टिपात कराया एवं निवेदन किया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्च आदेश से विधिक निर्णय पारित किये जाने में भूल/त्रुटि कारित की गई है जिस से अपील अपीलार्थी स्वीकार किए जाने योग्य है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन कराया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेखों का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि – ''**<u>क्या अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने प्रकरण संख्या 057/2018 निर्णय दिनांक 07.01.2019 में किसी प्रकार से विधिक भूल/त्रुटि कारित की गई है?, यदि हॉ तो उचित निर्णय क्या होगा?</u>**''

हमने पत्रावली का आद्यौपांत बागौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावलियों का मनन किया। प्रश्नगत आराजीयात के खातेदार जाति से खटीक है जिस तथ्य को उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी जाति से खटीक होकर राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/जनजाति सूची अनुसार अनुसूचित वर्ग में आते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर पोषणीय पाया जाता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183–बी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अधिनियम, 1955 में संशोधन करके धारा 183–बी 1978 में उक्त अधिनियम में जोड़ी गयी है। इस सम्बन्ध में धारा 183–बी अधिनियम, 1955 का अवलोकन करना उचित रहेगा, जो निम्न प्रकार है:–

183B. Summary ejectment of trespasser of the land held by a member of a scheduled caste or a scheduled tribe—

(1) Notwithstanding to the contrary contained in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession, without lawful authority of land held by a tenant belonging to scheduled caste or scheduled tribe shall be liable to ejectment on an application of the person or persons entitled to evict him or on the application, in the prescribed manner; of a further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifty times the annual rent.

(2) The inquiry on an application under sub-section (1) shall be made in a summary manner and shall be concluded, as far as practicable, within the prescribed period and after affording a reasonable opportunity of being heard to the person alleged to be a trespasser.

उक्त धारा 183–बी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में 1978 में जोड़े जाने की पृष्ठभूमि इस प्रकार है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कि पहले सभी श्रेणी के खातेदारान द्वारा अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा अधिनियम, 1955 की धारा 183 में ही लाया जाता था। 1970 से पहले उक्त धारा 183 के प्रावधान अनुसार अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा वह व्यक्ति ला सकता था, जो ऐसे अतिक्रमी को बतौर कृषक स्वीकार करने हेतु अधिकृत (person or persons entitled to admit trespasser as tenant) था। 1970 में उमा बनाम कजोड़ के प्रकरण (1970 RRD 387) में राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि अधिनियम, 1955 की धारा 42 के प्रतिबन्धात्मक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी खातेदार कृषक किसी भी गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति को अपनी खातेदारी की भूमि पर बतौर कृषक स्वीकार करने के लिये अधिकृत नहीं है, इस कारण वह ऐसे अतिक्रमी के विरूद्ध बेदखली का दावा भी नहीं ला सकता है। इससे होने वाली कठिनाई के निराकरण हेतु 1970 में धारा 183 में संशोधन करके शब्दावली "entitled to admit" को विलोपित कर शब्दावली "entitled to eject" प्रतिस्थापित की गयी। बाद में अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान को अतिक्रमियों से त्वरित राहत दिलाने के प्रयोजन से नवीन धारा 183–बी जोड़ी गयी। धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली का आवेदन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता था, जो अतिचारी को बेदखल करने के हकदार हैं। इसमें भी कठिनाइयां महसूस की गयी, क्योंकि कभी कभी प्रभावशाली अतिचारी के विरूद्ध अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति बेदखली हेतु आवेदन नहीं कर पाता था। अतः प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिये वर्ष 1989 में संशोधन करके यह प्रावधान किया गया कि कोई भी लोक सेवक, जिसे राज्य सरकार इस हेतु अधिकृत करे, विहित तरीके से धारा 183–बी के अन्तर्गत आवेदन कर सकेगा। अधिसूचना दिनांक 05.06.1989 द्वारा समस्त गिरदावर, पटवारी, सरपंच व ग्राम–सेवक को इस प्रयोजनार्थ अधिकृत किया गया है। इस प्रकार धारा 183–बी का वर्तमान स्वरुप वस्तुतः अनुसूचित जाति/जनजाति के खातेदारान के हितों की रक्षा हेतु सामाजिक–आर्थिक सुधारों के प्रति राज्य सकार की वचनबद्धता का परिणाम है। किसी भी लोक सेवक से यह अपेक्षित है कि कल्याणकारी शासन के सामाजिक सरोकार की मंशा के अनुरुप संवेदनशीलता के साथ अनुसूचित जाति/जनजाति की खातेदारी की भूमि को अतिचारियों से मुक्त करायेगा।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी निर्विवाद रुप से अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जिसकी अभिलिखित खातेदारी की भूमि पर प्रत्यर्थी/अप्रार्थीगण काबिज है और उनके पास उक्त भूमि पर काबिज रहने का कोई विधिक अधिकार (lawful authority) नहीं है। इसके साथ ही अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि विचारण न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 07.01.2019 में प्रत्यर्थी को अतिक्रमी नहीं माना है किन्तु धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में परिभाषित अतिक्रमी में अपीलांट नहीं आतें है। धारा 5(44) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में अतिक्रमी को निम्नानुसार परिभाषित किया है :–

(44)"Trespasser" shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ की पत्रावली में पटवार हल्का बस्सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 17.09.2018 के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम बस्सी के उक्त आराजी संख्या 3151मी. रकबा 0.15 हैक्टेयर अपीलार्थी की खातेदारी आराजीयात है। इसके साथ ही हल्का पटवार द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 08.12.2015 को पत्थरगढी की गई जिसमें में कोई कब्जा होना नहीं पाया गया हैं। जबकि अपीलार्थी द्वारा अवने आवेदन दिनांक 28.05.2018 में विपक्षीगण द्वारा दिनांक 01.01.2016 को जबरन कब्जा प्राप्त किये जाने का निवेदन किया गया है। हल्का पटवारी इस संबंध में किसी भी प्रकार का मौके की स्थिति के जांच बाबत् कोई पर्चा मौका तैयार किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध नहीं कराया गया है जबकि हल्का पटवारी को मौके की जांच के निर्देश दिये जाने के उपरांत भी हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 08.12.2015 को पत्थरगढी में किसी भी प्रकार कब्जा नहीं रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट दिनांक 17.09.2018 किया जाना जाहिर होता है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 08.12.2015 का अवलोकन किया। पर्चा मौका दिनांक 08.12.2015 में अंकित किया गया है कि किसी के कब्जे में दखल अंदाजी नहीं की गई। मौके पर कोई विवाद नहीं हुआ। उक्त पर्चा मौका दिनांक 08.12.2015 में आराजी संख्या 3151मीन पर किस का कब्जा है यह अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में इस महत्वपूर्ण की पूर्णतया अनदेखी की गई है, क्योंकि उक्त प्रकरण में कब्जे का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य परिलक्षित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलांट/प्रार्थीगण को हस्तगत प्रकरण में पूर्ण रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जबकि विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसरण में अपीलांट/प्रार्थीगण को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहियें। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई एवं उभयपक्ष का समुचित साक्ष्य के अवसर प्रदान नहीं किये जाकर निर्णय पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार जहां अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 07.01.2019 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 057/2018 निर्णय दिनांक 07.01.2019 में विधिक भूल/त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने से हमारा अभिमत है कि उक्त प्रकरण में उभय पक्षकारान को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को प्रकरण में पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है, किन्तु वर्तमान समय में ग्राम बस्सी नव सृजित तहसील बस्सी क्षेत्र में स्थित है जिससे प्रकरण तहसीलदार बस्सी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हस्तगत अपील अपीलांट अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.01.2019 प्रकरण संख्या 057/2018 अनवानी नन्दलाल बनाम मदनलाल वगैराह अन्तर्गत धारा 183–बी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौजा बस्सी की आराजी संख्या 3151 मीन का भौतिक रूप से निरीक्षण कर पत्रावली पर सुमचित कार्यवाही करते हुऐ उभयपक्षकारान का विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में समुचित साक्ष्य/सुनवाई का अवसर देते हुऐ विश्लेषण किये गये तथ्यों के अनुसरण में विधिक निर्णय अज–सर्रे नव निर्णय पारित किया जावें। इसके साथ ही उभयपक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षकारान दिनांक 27.06.2022 को तहसीलदार बस्सी के समक्ष उपस्थित रहे।

पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ का अभिलेख मय निर्णय की प्रति के तहसीलदार बस्सी को भिजवाया जावे एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को निर्णय की प्रति वास्ते सूचनार्थ भिजवाई जावे। तद्नुसार अभिलेखों में अंकन किया जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official